APP-A
Crim-I

FORM No. IH

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बयाना

प्रकाश बनाम अमर सिंह वगैरह

किस्म मुकदमा धारा 188 RJ Act नं. 127 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/10/20	दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को नोटिस सम्मन जारी कर पत्रावली दिनांक 9/11/20 को पेश हो। [signature]	
9/11/20	[illegible] कारण [illegible] पीठासीन अधिकारी ... पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 11/2/21 को पेश हो। प्रति. 1506 की ओर से श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। [signature] रीडर एस0डी0ओ0/एस0डी0एम0 बयाना	नकल [illegible] 9/11/20
11/2/21	पत्रावली पेश। दि. 9/11/20 को प्रति 1506 की ओर से श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। प्रति 7 व 11 की तामील हेतु तलबाना पेश नहीं अब पेश हो। जवाब व तामील पत्रावली दि0 20/5/21 को पेश हो। [signature] कोरोना महामारी के कारण पीठासीन अधिकारी ...	
21/5/21	पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 2/8/21 को पेश हो। दि 20/5/21 को राज्य अवकाश घोषित [signature] रीडर एस0डी0ओ0/एस0डी0एम0 बयाना	
12/8/21	पं- चुनाव कार्य में व्यस्त। पीठासीन अधिकारी ... पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13/12/21 को पेश हो [signature] रीडर एस0डी0ओ0/एस0डी0एम0 बयाना	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अनुसार आराजी खसरा नम्बर 3297 रकबा 0.37 हे० का आपस में बटवारा हुआ है। वादनी के वारिसान को उक्त आराजी खसरा नम्बर 3297/2 जरिए रजि० विक्रय पत्र प्राप्त हुआ है। 1– अतः वादी प्रति० असल को रुबाई मि० बेदखली से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है। 2– दफ्तरी प्रकरण [illegible] हेतु दि० 10/6/25 को पेश हो। ह० [illegible] 30/4/25	
10/6/25	दौरा बाहर है पीठासीन अधिकारी .... है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21/8/25 को पेश है। रीडर ओ/एस.डी.एम.	
21/8/25	दौरा बाहर है पीठासीन अधिकारी .... है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 29/10/25 को पेश है। रीडर ओ/एस.डी.एम.	
29/10/25	पीठासीन अधिकारी [illegible] है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7/1/26 को पेश है। रीडर ओ/एस.डी.एम.	
7/1/26	प्रकरण पेश हुआ। प्रकरण में वादी/वादीगण व उनके अधिवक्ता [illegible]। प्रकरण के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा [illegible] बाद आवाज लगवाई गई। आवाज	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	अपराध की कोई उम्र नहीं। अतः प्रकरण प्रार्थी पक्ष पर अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद [illegible] हो बराबर में नत्थी हो/बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।